न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 30/19

1. हरजीत कौर पत्नी श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एफ.एफ. बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थी

बनाम

1. कपूर सिंह पुत्र श्री वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ.एफ.बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)।

–अप्रार्थीगण

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थितिः–

1. श्री राजीव जग्गा वकील प्रार्थी
2. श्री हेमन्त शर्मा वकील अप्रार्थी सं. 1

–: निर्णय :–

दिनांकः–11.09.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 9 एफ एफ बी प.नं. 220/235 मु.नं. 10 कि.नं. 14 ता 20 का 1.771है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि को काश्त करने, फसल लाने व कृषि यन्त्र लाने ले जाने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 9 एफ एफ बी प.नं. 220/235 मु.नं. 10 कि.नं. 25 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में चक 9 एफ एफ बी मु.नं. 10 प.नं. 220/235 कि.नं. 25 में पूर्वी पासा की भूमि पत्थर लाईन के साथ–साथ कुल 2 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत कर इसकी एवज में प्रार्थी की भूमि में से मुझ अप्रार्थी की भूमि के चिपते भूमि दिलवाई जाती है तो अप्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाने पर कोई आपत्ति व एतराज नहीं हैं। रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षण संगराना से मौका जाँच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट के प्रार्थीया की मु.न. 10 कि.नं. 14 ता 20 की 1.771है. भूमि में आवागमन हेतु मौके पर कोई भी रास्ता प्रचन में नहीं हैं। मु.नं. 10 कि.न. 21 ता 25 से पूर्व–पश्चिम पक्की सड़क गुजरती हैं। मु.नं. 10 के कि.नं. 25 से पक्की सड़क तक चाहा गया रास्ता सबसे सुविधाजनक एवं नजदीक पड़ता हैं।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गयी। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता स्वीकृत करने पर सहमति दी। तथा रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। लिहाजा रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक एवं पक्षकारान की सहमति के आधार पर चक 9 एफ एफ बी प.नं. 220/235 मु.नं. 10 कि.नं. 25 में 2 बिस्वा गै.मु. रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता का अमल दरामद करें। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले में अप्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि से चिपती रास्ते में आई भूमि के समान उतनी ही भूमि देगा। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर नियमानुसार प्रार्थी के रकबे में उक्त भूमि कम करते हुए अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करें इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner